फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

रामस्वरूप बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0– 76/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/11/25	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 660 रकबा 0.800 है0 भूमि वाके ग्राम उदयपुरा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जमाबंदी संवत 2076–2020 से स्थायी में ग्राम पंचायत उदयपुरा हिस्सा पूर्ण संस्था जो गैर मुमकिन स्कूल अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज एवं अंकित है। विवादित उक्त भूमि आबादी भूमि जो कि पूर्व में ग्राम पंचायत उदयपुरा को सन 1982 में ग्राम पंचायत की अनुशषा एवं मांग पर विधि अनुसार विहित शुल्क का संदाय कर चारागाह भूमी में से सिवायचक में संपरिवर्तन कर आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत उदयपुरा को प्रदान की गई थी जो आराजी खसरा नम्बर 380/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा थी जिस पर तत्कालीन ग्राम पंचायत उदयपुरा सरपंच दशरथसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण/पिता व अन्य लोगो के नाम पट्टे जारी कर विन्जारा ढाणी तन उदयपुरा आबादी का विस्तार करने के लिये प्रदान की थी। सन 2007 में प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्वालय बिन्जारा ढाणी उदयपुरा पंचायत समिति सिकराय के अनुरोध पर अपने पत्रांक भू0अ0/07/72 दिनांक 17/01/2007 के द्वारा राजकीय चारागाह भूमि खसरा नं0 380/2 रकबा 203 बीघा 4 बिस्वा में से 3 बीघा 4 बिस्वा को राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिन्जारा ढाणी उदयपुरा के भवन निर्माण एवं खेल मैदान हेतु आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था जिसे उक्तानुसार आवंटन किया गया था। लेकिन वर्तमान में सैटलमेण्ट द्वारा गै0मु0 स्कूल की भूमि की तरमीम आबादी भूमि खसरा नम्बर 380/1 जिसके साबिक खसरा नम्बर 660 के स्थान पर हो गई है जिसे दुरूस्त किया जावे। बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरूस्ती आदेश प्रदान किए जावे। प्रार्थीगण द्वारा 136 एल. आर.ए. के तहत राजस्व न्यायालय द्वारा आबादी भूमि के संबंध में दुरूस्ती चाही गई है, तथा ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि जंहा पूर्व में आबादी भूमि की तरमीम रही हो वंहा अब गै0मु0 स्कूल की तरमीम की गई हो। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.ए. खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	